फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत	न्याया0 संभागीय आयुक्त	**मुकाम**	**कोटा**
अब्दुल कयूम आत्मज लाड खा जाति मुसलमान नि0 ग्राम खीमच तह0 रामगंजमण्डी जिला कोटा		**बनाम**	राज0 सरकार जरिये राजकीय अभिभाषक
किस्म मुकदमा	अपील अन्तर्गत धारा 18 आर्म्स एक्ट	**नं.** 20	**2024**

जिला– कोटा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
4.3.2024	अपीलार्थी द्वारा जरिये अभिभाषक श्री विधाशंकर गोस्वामी के यह अपील, न्यायालय जिला कलक्टर कोटा द्वारा प्रार्थना पत्र बावत रिन्यूअल किये जाने शस्त्र अनुज्ञापत्र मे पारित आदेश दिनांक 2.8.2022 से अप्रसन्न होकर आर्म्स एक्ट की धारा 18 के अन्तर्गत दिनांक 10.7.2023 को इस न्यायालय मे प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ पेश की गई। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया। प्रस्तुत अपील मियाद बाहर है। अतः न्यायहित मे अभिभाषक अपीलार्थी को प्रथमतया प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पर सुना गया। विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने प्रा0 पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलाधीन आदेश दि0 2.8.2022 की जानकारी उसको संबधित क्लर्क से दिनांक 15.6.2023 को मिलने पर होने पर उसी दिन आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपी प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र पेश किया जिसकी नकल दिनांक 19.6.2023 को प्राप्त होने पर अविलम्ब अपील पेश की गई अतः जानकारी से पूर्व के दिन न्यायहित मे कन्डोन किये जाकर अपील अवधि मध्य पेश की है। प्रार्थना पत्र मे वर्णित उपरोक्त तथ्यों के समर्थन मे अपीलार्थी ने स्वयं का शपथ पत्र पेश किया है। रेस्पो0 की ओर से पैरवी हेतु उपस्थित पैरोकार सरकार ना0 तह0 लाडपुरा द्वारा अपनी बहस मे उपरोक्त वर्णित तथ्यों का खण्डन करते हुये जाहिर किया कि अपीलाधीन आदेश 2.8.2022 का है जिसको अपीलांट द्वारा दिनांक 10.7.2023 को लगभग 10 माह से भी अधिक समय उपरांत न्यायालय हाजा मे अपील पेश कर चुनोती दी है। अधिनियम मे निहित प्रावधान अनुसार आदेश की अपील 30 दिवस की अवधि मे ही की जा सकती है। अपीलार्थी ने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एंव इस संबध मे प्रस्तुत स्वयं के शपथ पत्र मे संबधित क्लर्क से दिनांक 15.6.23 को मिलने पर अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने सबंधी तथ्य अंकित किये है किन्तु शपथ पत्र मे वर्णित किये गये तथ्यों के समर्थन मे कोई आधार अभिलेख पेश नही किये है। ऐसी स्थिति मे समुचित आधार अभिलेख के अभाव मे अपीलार्थी का कथन आधारहीन होने से स्वीकार योग्य नही है। प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम खारिज करने का अनुरोध किया। हमने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का अवलोकन किया तथा बहस विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी तथा पैरोकार सरकार पर मनन किया। अपीलार्थी द्वारा जिला कलक्टर कोटा द्वारा पारित आदेश दिनांक 2.8.2022 के विरूद्ध अपील इस न्यायालय मे दिनांक 10.7.2023 को लगभग 10 माह से भी अधिक समय उपरांत पेश की है जो बेरून मियाद है। जहां तक अपीलार्थी का तर्क है कि अपीलाधीन आदेश की जानकारी उसको संबधित क्लर्क से दिनांक 15.6.23 को मिलने पर हुई है। अपने कथन के समर्थन मे कोई आधार अभिलेख पत्रावली मे पेश नही किये है। ऐसी स्थिति मे समुचित आधार अभिलेख के अभाव मे अपीलार्थी का कथन स्वीकार योग्य नही है। अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। तदानुसार अपील अपीलांट पोषणीय नही होने से खारिज की जाती है। (उर्मिला राजोरिया) संभागीय आयुक्त कोटा	